

ई-मेल/  
फैक्स

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

प्रेषक

विनोद कुमार झा,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,  
औरंगाबाद/पटना/बेगुसराय/समस्तीपुर एवं मधेपुरा।

पटना-15 दिनांक-24-10-14

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2029-मू-राजस्व-104-सरकारी संपदाओं का प्रबंध-0002- हाट बाजार कचहरी इत्यादि का सुरक्षण 2701-लघु कार्य मांग संख्या-40 विपत्र कोड-एन0 2029001040002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-509(9)/रा0 दिनांक-20.10.2014 के आलोक में राज्य में आयोजित प्रमुख मेलों के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु निम्नलिखित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।


क्र0	मेला / जिला का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	देव कार्तिक छठ मेला, औरंगाबाद, 2012, 2013 एवं 2014	15,00,000 (पन्द्रह लाख)	15,00,000 (पन्द्रह लाख)
2	पुनपुन अन्तराष्ट्रीय पितृपक्ष मेला 2014, पुनपुन, पटना	15,00,000 (पन्द्रह लाख)	15,00,000 (पन्द्रह लाख)
3	बाबा हरिगिरिधाम श्रावणी मेला 2014, बेगुसराय	20,00,000 (बीस लाख)	20,00,000 (बीस लाख)
4	बाबा केवल स्थान राजकीय मेला 2014, समस्तीपुर	20,00,000 (बीस लाख)	20,00,000 (बीस लाख)
5	राष्ट्रीय चौहरमल मेला, घोसवरी बाढ़, पटना-2014	25,00,000 (पच्चीस लाख)	25,00,000 (पच्चीस लाख)
6	सिंहेश्वर स्थान महाशिवरात्रि मेला मधेपुरा-2014	4,84,585 (चार लाख चौरासी हजार पाँच सौ पचासी)	4,84,585 (चार लाख चौरासी हजार पाँच सौ पचासी)
	<b>कुल</b>	<b>99,84,585 / - (निनानवे लाख चौरासी हजार पाँच सौ पचासी)</b>	<b>99,84,585 / - (निनानवे लाख चौरासी हजार पाँच सौ पचासी)</b>

- उपर्युक्त राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में की जाएगी।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 (वी0)(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में किया जा रहा है।
- राशि की निकासी के समय विपत्र पर माँग संख्या इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

कृ०पृ०उ०

5. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेजी जाय।
6. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।
7. आवंटित राशि की निकासी के बाद इसका व्यय राजस्व विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित पदाधिकारी समाहर्ता / अपर समाहर्ता / सम्बन्धित भूमि सुधार उप समाहर्ता / अंचल पदाधिकारी द्वारा ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन,

  
(विनोद कुमार झा),  
सरकार के अपर सचिव।

  
24-10